



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
Email-ro.ajmer@ibm.gov.in

Mine Code: 38RAJ26005

संख्या : RAJ/UDP/LST-6

दिनांक : 19.10.2022

प्रेषित : खान एजेंट, दारोली चूना पत्थर खान नंबर 2,

मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड,

श्रीपत नगर, पोस्ट ऑफिस-सी एफ ए, डबोक के पास,

तहसील-वल्लभ नगर, जिला- उदयपुर (राजस्थान) 313 021

Email: mines@ucwl.jkmail.com, krishanpal@ucwl.jkmail.com;

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Daroli Limestone Mine No.2** (Lease area 213.33 Hect., ML No. 23/01) situated in Udaipur District of Rajasthan State.
महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 25.09.2022 by the undersigned in presence of Sh. K. P. Singh, Mines Agent & HOD(Mines):

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (Approved on 23.10.2020): 1) No proper care and maintainance of saplings planted in the year 2021-22 was observed, which resulted decrease in survival rate of trees. Further during the year 2021-22, total 450m fencing was proposed around plantation area but no such fencing has been carried out.
Rule 31(4)	Plans & sections required to be kept under rule 32 have not been maintained up to date within three months.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय
19/10/22
(डी. आर. गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो
भवदीय

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो